न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1922—चार/2000 — विरूद्ध आदेश दिनांक 28—7—2000— पारित व्दारा — अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना — प्रकरण कमांक 85/1997—98 निगरानी

वासुदेव पुत्र विहारीलाल
ग्राम पचेरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड —————आवेदक

विरूद्ध

1— नाथूराम पुत्र आशाराम ब्राहमण
2— रामशंकर पुत्र वासुदेव
3— आशाराम पुत्र विहारीलाल
4— दशरथ प्रसाद 5— बृजमोहन
6— लालूराम 7— रमाकान्त
पुत्रगण आशाराम ग्राम पचेरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड —————अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित—एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 4 - 2 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 85/1997—98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.7.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पचेरा की कुल किता

18 कुल रकबा 5-347 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि पर अनावेदक रामशंकर , आशाराम, दशरथ प्रसाद का व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर नायव तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण क्रमांक 2257बी-112/86-87 में पारित आदेश दिनांक 28-1-89 से अमल किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी,मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 7/93-94 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17-7-85 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 87/97-98 में पारित आदेश दिनांक 22-12-97 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया एंव नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-1-89 स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 85/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 28.7.2000 से अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 22-12-97 निरस्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17-7-85 स्थिर रहा। आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं एंव तद्नुसार कार्यवाही की

जावेगी, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अनावेदक कमांक-1 की आपत्ति यह रही है कि दीवानी न्यायालय की डिक्री उसके विरूद्ध एकपक्षीय है एंव तहसील न्यायालय में बिना इस्तहार जारी किये एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एंव वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध पक्षकारों को नहीं सुना गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक संपत्ति है उसे सुना जाना आवश्यक है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जबकि इस तथ्य को अपर कलेक्टर द्वारा अनदेखा कर दिये जाने से अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22-12-97 को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 85/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.7.2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर